20रु. COURT FEE Rs.20 भारत INDIA TWENTY RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(63)

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्र. / /2016 पुनर्विलोकन रिव्यू 2943-I-16

श्री ...... द्वारा आज दि. 01/09/16 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 9-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

श्रीराम शुक्ला पुत्र स्व.श्री शिवनाथ ब्रा. निवासी–ग्राम सरवई तहसील गौरीहार जिला छतरपुर (म.प्र.) ....**आवेदक**

बनाम

1. जमुना प्रसाद पिता शिवनाथ ब्रा. निवासी – सरवई तहसील गोरीहार जिला छतरपुर(म.प्र.)
2. म.प्र. शासन ....**अनावेदक**

<u>पुनर्विलोकन आवेदन अंतर्गत धारा 51 म.प्र. भू.राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 05.08.2016 पारित द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वलियर म.प्र. के प्र.क्र. 2614–I /2016/निगरानी से असन्तुष्ट होकर</u>

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

<u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः–</u>

1. यहकि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि उक्त विवादित भूमि खसरा नम्बर 1486/1–ख का सीमांकन हेतु आवेदन पत्र अनावेदक द्वारा राजस्व निरीक्षक सरवई तहसील गौरीहार के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 19/13/2015–16/ से दर्ज कर सीमांकन हल्का पटवारी द्वारा किया जाकर पंचनामा सूचना का सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया गया।
2. यहकि, कि राजस्व निरीक्षक सरवई द्वारा पाया गया कि उक्त

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - रिव्यु-2943-एक/16 **जिला** - छतरपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21/03/2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री बी.एस. धाकड़ उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। यह पुनरावलोकन इस न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक निगरानी-2614-एक/16 में पारित आदेश दिनांक 05.08.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। संहिता की धारा किसी भी मामले का पुनरावलोकन किए जाने की परिस्थितियों का उल्लेख संहिता की धारा-51 सहपठित आदेश 47 नियम 1 व्यवहार प्रक्रिया संहिता में किया गया है। जिसके अनुसार किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो तत्परता के पश्चात भी पूर्व में आदेश पारित करते समय ज्ञान में नहीं था या कोई ऐसी त्रुटि या भूल जो अभिलेख से प्रकट हो या अन्य कोई पर्याप्त कारण। पुनरावलोकन आवेदन में जो आधार दिए गए हैं उनका निराकरण तत्कालीन सदस्य द्वारा कारण दर्शाते हुए किया गया है। आलोच्य आदेश में तत्कालीन सदस्य द्वारा स्पष्ट किया गया है कि नायब तहसीलदार का आदेश अपील योग्य है और आवेदक के पास उस आदेश के विरुद्ध अपील का उपचार उपलब्ध है। दर्शित परिस्थिति में यह पुनरावलोकन आवेदन ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य किया जाता है। **प्रशासकीय सदस्य**	